

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 796 / FP/UK/Road/11625/2015 देहरादून: दिनांक: 14 सितम्बर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-अल्मोड़ा में जागर से भागदेवली लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से प्राप्त EDS .

महोदय,


विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, उत्तराखण्ड से प्राप्त आख्या प्रेषित की जा रही है।

SR.No	EDS	REPLY
1	Short narrative of the proposal does not provide adequate information in online part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा योजना का संक्षिप्त विवरण पार्ट I के additional information में Short narrative & justification of project के नाम से अपलोड कर दिया गया है।
2	Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि स्थाई रूप से ली जानी है। पार्ट I के A-1(x) में अंकित कर दिये गये है।
3	Component wise breakup is not provided in online part-I. The component wise breakup should include area marked for various component viz. road, muck disposal etc.	प्रस्तावक विभाग द्वारा Component wise breakup की सूचना को पार्ट I के पैरा B-2.4 में अंकित कर दी गयी है।
4	As per the village wise breakup two villages are involved in the area proposed for diversion but the village level committee proceeding provided pertaining to only one village. The State Govt may provide the VLC proceeding for other village also.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अन्य ग्रामों की अनापत्ति ले ली गयी है। प्रपत्र पार्ट I के K-A में अपलोड कर दिया गया है।
5	The State Govt has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map without showing geo coordinates to the exact scale of the proposed road at 200-300 m including all turns. The State Govt may provide/upload the correct clear map showing geo coordinate at 200 to 300m interval along the alignment including all turning points and ensure the uploading of correct revised map in online part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा GIS Map में तैयार करवाकर पार्ट I के C-iv में अपलोड कर दिया गया है।

	<p>The tree enumeration carried out of 7m width but the width of road as per land schedule is 9m, therefore the revised tree enumeration list may provide and upload in online part II for taking width of 9m.</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की चौड़ाई 9 मी० के प्रस्ताव गठित किये गये है किन्तु लो०नि०वि० द्वारा 7 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना करवाई गई। चूकी लो०नि०वि० द्वारा मार्ग का निर्माण मात्र 5.90 मी० में किया जाता है। प्रस्तावित 7 मी० चौड़ाई में ही वृक्षों का पातन अपरिहार्य एवं न्यूनतम किया जाता है।</p>
7	<p>The Eco class as per the tree species concern is not seems correct. The State Govt may review the Eco class of the area and provide revised NPV calculation accordingly.</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट II के additional information में पुनः अपलोड कर दी गयी है।</p>
8	<p>The area marked for muck dumping in non foret land having capacity of only 1540 vum but the material need to be dumped in dumping yards calculated as 7437 cum. The State Govt may clarify that where will the remaining material dump.</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा मलुवा निस्तारण की योजना को संशोधित कर पार्ट I के additional information में पुनः अपलोड कर दी गयी है।</p>

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(डी०जे०के० शर्मा) 14/9/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी